संख्याः 849/XXXVIII/10-47/2007

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2010**

विषयः विज्ञान धाम (Science City) की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या UCS&T/साइंस सिटी/2009-10/1173, दिनांकः 06 अक्टूबर, 2010 एवं निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन0सी0एस0एम0), कोलकाता (भारत सरकार का उपक्रम) के अर्द्धशा0प0सं0: A-17011/6(51)/15537, दिनॉकः 26 मार्च, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञान धाम की स्थापना हेतु 50% केन्द्रांश के सापेक्ष 50% राज्यांश के रूप में एक मुश्त रू0 4,25,00,000.00 (रू0 चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि तथा विज्ञान धाम की स्थापना हेतु प्रारम्भिक कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के आगणन रू0 499.08 लाख के तकनीकी परीक्षणोंपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रू0 477.86 लाख की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1,90,00,000.00 (रू0 एक करोड़ नब्बे लाख मात्र) कुल रू0 6,15,00,000.00 करोड़ (रू0 छः करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

2- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता को विज्ञान धाम की स्थापना हेतु एक मुश्त धनराशि रू0 4.25 (रू0 चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र) उपलब्ध करायी जाएगी तथा इसी प्रकार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यथाआवश्यक एम0ओ0यू0 तथा अन्य आवश्यक अनुबन्ध आदि भी पूर्ण करा लिया जाए।

3- उक्त धनराशि का इस मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं कार्यो में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4- भवन निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार में जमा कराते हुये धनराशि आहरित की जाएगी।

.....2/-

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि में से पूर्व में स्वीकृत रू0 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि 1,65,00,000.00 (रू0 एक करोड़ पैसठ लाख मात्र) की धनराशि को संबंधित कार्यदायी संस्था को आवंटन यथा शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

6– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–23 लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–60–अन्य–004–अनुसंधान–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–विज्ञान धाम की स्थापना–00–आयोजनागत के अन्तर्गत मानक मद सं0–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7– उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0: 138 P/वित्त अनुभाग–5/2010, दिनांक 10, दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव चन्द्र)
सचिव

संख्याः 849 (1)/XXXVIII/10–47/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त–बजट।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन0सी0एस0एम0), ब्लॉक–जी0एन0, सेक्टर–V विधान नगर कोलकाता–700091
7. वित्त अनुभाग–5
8. नियोजन विभाग।
9. एन0आई0,सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

science city

14.12.06